संख्या: 5/2024/बी-3-166/दस-2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन/
महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं समस्त विभागाध्यक्ष/
मण्डलायुक्त/जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 12 अगस्त , 2024

विषयः राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय, भवन मरम्मत/विस्तार क्रय अग्रिम के ऑकड़ों के मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या 22/2024/बी-2-553/दस-2024- आर-2/2016, दिनांक 06.08.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के आकंड़ों के लेखामिलान महालेखाकार कार्यालय से कराए जाने हेतु दिनांक 12.08.2024 से दिनाॅक 05.09.2024 तक की तिथियाॅ निर्धारित की गयी हैं।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन कार्यालयों को उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम त्रैमास में गृह निर्माण/क्रय तथा भवन मरम्मत/विस्तार हेतु स्वीकृत अग्रिमों के व्यय एवं प्राप्ति के ऑकड़ों का मिलान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- उपरोक्तानुसार जिन नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराया जायेगा तो उसका उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़े अन्तिम समझे जायेंगे।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव

संख्या: 5/2024/बी-3-166/दस-2024 तददिनाॅक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय।
4- राज्यपाल सचिवालय
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in